भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 1204
गुरुवार, 1 अगस्त, 2024/10 श्रावण, 1946 (शक)

महिला-पुरूष अंतर दूर करने की पहले

1204. श्री एम. मोहम्मद अब्दुल्ला:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार द्वारा पिछले पांच वर्षों में महिला-पुरूष अंतर को दूर करने और महिला कार्यबल भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए कोई पहल की गई है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या यह सच है कि डिजिटल श्रम मंच में कार्यरत महिला कार्यबल में बढ़ोत्तरी हो रही है; और
(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा प्रौद्योगिकी को उनके लिए सुलभ बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा करंदलाजे)

(क) से (घ): सरकार ने महिला श्रमिकों के लिए समान अवसर और अनुकूल कार्य वातावरण के लिए श्रम कानूनों में कई प्रावधानों को शामिल करके देश में लैंगिक अंतर को संबोधित करने और महिला कार्यबल की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं जैसे सवैतनिक मातृत्व अवकाश, शिशु देखभाल अवकाश, क्रेच सुविधा, समान वेतन आदि।

सरकार, महिला कामगारों की नियोजनीयता को बढ़ाने के लिए महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों और क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों के नेटवर्क के माध्यम से उन्हें प्रशिक्षण प्रदान कर रही है।

नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। तदनुसार, भारत सरकार ने महिलाओं सहित देश में रोजगार सृजन करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं।

भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों जैसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय आदि अलग-अलग रोजगार सृजन योजनाएं/कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहे हैं जैसे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), ग्रामीण स्वरोजगार और प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई), दीन दयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका

मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम), प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आदि में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए पूंजीगत व्यय में वृद्धि शामिल है। भारत सरकार द्वारा कार्यान्वयन किए जा रहे विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौर, https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes पर देखा जा सकता है।

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा वर्ष 2017-18 से करवाए जा रहे आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) से रोजगार और बेरोजगारी के आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। इस सर्वेक्षण की अवधि, प्रति वर्ष जुलाई से जून तक होती है।

नवीनतम उपलब्ध वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्टों के अनुसार, वर्ष 2017-18 से वर्ष 2022-23 तक की अवधि के दौरान, सामान्य स्थिति पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं की अनुमानित श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर), कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) एवं बेरोजगारी दर (यूआर) नीचे दी गई तालिका में निम्नानुसार हैः

(% में)

वर्ष	एलएफपीआर	डब्ल्यूपीआर	यूआर
2017-18	23.3	22.0	5.6
2018-19	24.5	23.3	5.1
2019-20	30.0	28.7	4.2
2020-21	32.5	31.4	3.5
2021-22	32.8	31.7	3.3
2022-23	37.0	35.9	2.9

स्रोत: पीएलएफएस

उपरोक्त आंकड़े दर्शाते हैं कि महिला एलएफपीआर, डब्ल्यूपीआर यानी रोजगार में वृद्धि की प्रवृत्ति है और पिछले कुछ वर्षों से बेरोजगारी दर में कमी की प्रवृत्ति है।

सरकार ने, असंगठित कामगारों जिसमें गिग कामगार और प्लेटफॉर्म भी शामिल हैं, पंजीकरण और एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस के निर्माण के लिए ई-श्रम पोर्टल शुरू किया है जिसमें एक व्यक्ति स्व-घोषणा के आधार पर पोर्टल पर खुद को पंजीकृत कर सकता है और इसमें लगभग 400 व्यवसायों का उल्लेख है। दिनांक 27.07.2024 तक, स्व-घोषणा के आधार पर ई-श्रम पोर्टल पर विभिन्न व्यवसायों के तहत असंगठित कामगारों का कुल पंजीकरण 29.84 करोड़ से अधिक है, जिनमें से 15.90 करोड़ से अधिक (53.31%) महिला कामगार हैं।

सरकार ने ई-श्रम पोर्टल पर असंगठित कामगारों की पहुंच को सुविधाजनक बनाने, जागरूकता बढ़ाने और पंजीकरण में तेजी लाने के लिए कई कदम उठाए हैं। मंत्रालय द्वारा सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) के समन्वय से समय-समय पर कई पंजीकरण शिविर और अभियान आयोजित किए जा रहे हैं। ई-श्रम पर पंजीकरण करने के लिए कामगारों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफार्मों का भी उपयोग किया जा रहा है। असंगठित कामगारों के सहायता प्राप्त मोड पंजीकरण की सुविधा के लिए राज्य सेवा केंद्र (एसएसके) और सामान्य सेवा केंद्र की सेवाएं शामिल की गई है। कामगारों के बीच ई-श्रम की पहुंच बढ़ाने और उनके मोबाइल पर पंजीकरण/अपडेट सुविधा प्रदान करने के लिए, यूनिफाइड मोबाइल एप्लिकेशन ई-श्रम न्यू-एज गवर्नेंस (उमंग ऐप) की सुविधा भी उपलब्ध है।

******